—बानबे— उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 26 जुलाई, 2006

उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्याः स0वि०क०नि० 5–2018/11–2006–500 (35)/2000 लखनऊ दिनांक 26 जलाई, 2006

> <u>अधिसूचना</u> <u>आदेश</u>

प0आ0-923

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय—समय पर यथासंषोधित सरकारी अधिसूचना संख्याः क0नि0 5—6468/11—2002—500 (35)/2000 दिनांक 12 नवम्बर, 2002 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना के परन्तुक में, अन्त में आये हुए शब्द व अंक 'दिनांक 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व कर दिया गया हो'' के स्थान पर शब्द व अंक ''दिनांक 31 मार्च, 2007 या उससे पूर्व कर दिया गया हो'' रख दिये जायेगें और दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से रखे गये समझे जायेगें।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(प्रीतम सिंह)

प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.-5-2018/XI-2006-500(35)-2000 dated July 26, 2006 for general information:

No. S.V.K.N.-5-2018/XI-2006-500 (35)-2000

Dated Lucknow July 26, 2006

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act. no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act. 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. K.N.-5-6468/XI 2002-500 (35)-2000 dated November 12, 2002 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the proviso, for the words and figures "on or before March 31, 2006" appearing in the end the words and figures, "on or before March 31, 2007" shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from April 01. 2006.

By order, Sd/-Illegible PRITAM SINGH Pramukh Sachiv.